



संघीय नाननाय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निग 1 3885-I-15

निगरानी

/2015

1. गीताबाई बेबा भूजवल सिंह दांगी (मृतक) वैध वारिस-

1. भागवती बाई पत्नी रघुवीर सिंह दांगी निवासी ग्राम भतोली तहसील कुरवाई जिला विदिशा म.प्र.।

2. सरजू वाई पत्नी फेरन सिंह दांगी ग्राम भाकरई तहसील वीना सागर

गुडडी बाई पत्नी शालकराम दांगी ग्राम हॉसल खेडी तहसील वीना जिला सागर म.प्र.।

4. कमलेश वाई पत्नी विष्णु दांगी ग्राम तमोइया तहसील कुरवाई जिला विदिशा म.प्र.।

5. मीना वाई पत्नी उम्मेद सिंह ग्राम मालासुनेटी वीना जिला सागर म.प्र.

2. दरयाव सिंह पुत्र श्री भुजवल सिंह दांगी निवासी ग्राम लपतौरा परगना मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.।आवेदकगण

विरुद्ध

सुखलाल पुत्र श्री भीकम सिंह यादव निवासी ग्राम बावरीद तहसील मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.।

.....अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राज्य संहिता 1959 के तहत विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के अपील प्र0क0 472/12-13 में पारित आदेश दिनांक 3.11.2015 के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

1. यहकि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम लपतौरा तहसील मुगावली स्थित भूमि सर्वे क 260 रकवा 9.700 हे. भूमि आवेदक गीताबाई बेबा भुजवल सिंह के नाम पर दर्ज की उक्त भूमि में से रकवा 5.255 हे. भूमि का आवेदक क 2 दरयाव सिंह द्वारा प्रति उत्तरवादी सुखलाल द्वारा फर्जी विक्रय पत्र दर्शाकर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क 2 दिनांक 2.11.04 से अपने नाम का नामांतरण आदेश करा लिया। चूंकि राजस्व रिकार्ड में दरयाव सिंह के नाम पर ही भूमि ही नहीं थी जिस कारण प्रत्यर्थी के नाम का अमल नहीं हो सका

श्री. सुनील सिंह जादौन,
द्वारा आदेश दि. 1-12-15 को
प्रस्तुत

वैध वारिस
1-12-15
सागर मंडल म.प्र. ग्वालियर

File
26/11/15
17215


for

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3885-एक/15

जिला - अशोक नगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
1.12.2015	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 471/अपील/12-2013 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3.11.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया है आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वही तथ्य दोहराये गये है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लेख किया गया है । उनके द्वारा बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में बिना अभिलेख बुलाये प्रकरण बहस हेतु लगाया गया है । जबकि अपर आयुक्त की आदेश पत्रिका दिनांक 26.8.15 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "अनुविभागीय अधिकारी एव नायव तहसीलदार मुगांवली का अभिलेख प्राप्त " प्रकरण बहस हेतु नियत है तथा अनावेदक की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित है । प्रकरण में आवेदक द्वारा यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि इस न्यायालय से उसको क्या अनुतोष चाहिये ।</p>	

fcs

3- अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । इस न्यायालय के आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे । प्रकरण दा0 द0 हो ।

fa


सदस्य